संस्था के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक निर्देश

- सर्वप्रथम internet explorer अथवा Firefox पर विभाग की वेबसाइट <u>www.uprfsc.gov.in</u> हेतु URL अंकित करे |
- वेबसाइट पर हरी पट्टी में अंकित "रजिस्टर" पर क्लिक करे |
- वेब पेज पर अपना वांछित user ID अंकित करे और उपलब्धता की जाँच करें
- अपना पूरा नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, पता, ईमेल व captcha अंकित कर submit बटन क्लिक करें |
- भरे गए विवरण में अंकित ईमेल को खोले |
- Department of FSC की तरफ से प्राप्त ईमेल खोले एवं उसमे दिए गए लिंक पर क्लिक करें |
- नए pop window में मोबाइल पर प्राप्त OTP अंकित करें।
- वेब पेज पर सबसे ऊपर अंकित निर्देशानुसार अपना password बनाये एवं अगले column में पुनः password (confirm) अंकित करें |
- Security question choose अंकित करें |
- Choose किये गए security question का उत्तर भरें |
- captcha अंकित कर change password बटन क्लिक करें |
- वेबसाइट पर हरी पट्टी में अंकित "लॉग इन" पर क्लिक करे |
- login ID व password व captcha अंकित कर "login" पर क्लिक करें |
- login उपरांत वेब पेज पर अंकित निर्देशों का अनुपालन करते हुए सावधानी पूर्वक विवरण अंकित
 कर ऑनलाइन पंजीकरण की औपचारिकता पूरी करें।
- संस्था के पंजीकरण हेतु निम्न औपचारिकतायें पहले पूंर्ण कर ले -:
 - सभी सदस्यों का फोटो व हस्ताक्षर computer में किसी फोल्डर में jpeg, jpg format में
 save कर लें|
 - नोटरी शपथ पत्र व सभी सदस्यों के पते का पहचान पत्र "AADHAR CARD" वोटर कार्ड,
 पैन कार्ड pdf format में computer में किसी फोल्डर में save कर लें।
- संस्था का नाम पूर्व में किसी पंजीकृत संस्था के नाम जैसा या उससे मिलते जुलते नाम जैसा नहीं होना चाहिये। संस्था के नाम के साथ "यूनियन" "स्टेट" "लैण्ड मार्गेज" "लैण्ड डेवलपमेट" "गाँधी" "कोआपरेटिव" "संघ" "रिजर्व बैंक" अथवा ऐसे कोई भी शब्द जिससे संस्था के प्रति केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य स्थानीय प्राधिकरण आदि की स्वीकृति अथवा संरक्षण का बोध हो, का प्रयोग नहीं होना चाहिये (धारा (3)(2))

- सिमितियों के पजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेख , जिन्हें आवेदक द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है निम्न है: 1.संस्था का स्मृति-पत्र। (प्रत्येक पृष्ठ पर office bearers (शासी निकाय) के सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के हस्ताक्षर कराये जाय एवं फोटो चस्पा की जाय)
 - 2.संस्था की नियमावली। (प्रत्येक पृष्ठ पर office bearers (शासी निकाय) के सचिव/प्रबन्धक सहित तीन अन्य के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।)
 - 3.साधारण सभा (General Body) की सूची नाम, पिता/पित, पूरा स्पष्ट पता व सदस्यता का प्रकार अंकित होने चाहिए। (प्रत्येक पृष्ठ पर office bearers (शासी निकाय) के सचिव/प्रबन्धक सहित तीन अन्य के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।)
 - 4.संस्था पूर्व में पंजीकृत न होने का फोटोयुक्त नोटरी शपथ-पत्र संस्था सचिव/प्रबन्धक की ओर से।
 - 5.संस्था के गठन की कार्यवाही (प्रत्येक पृष्ठ पर office bearers (शासी निकाय) के सचिव/प्रबन्धक सहित तीन अन्य के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।)
 - 6.सभी पदाधिकारियों के पते एवं पहचान का प्रमाण यथा- आधार कार्ड, पैनकार्ड, फोटोयुक्त कोई अन्य मान्य दस्तावेज अपलोड किया जाना आवश्यक है।
 - 7.सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के सम्पर्क/ मोबाईल नम्बर यथास्थान।
 - उपरोक्त प्रपत्रों में यदि कोई कमी है, तो उस प्रार्थनापत्र को अपूर्ण माना जायेगा एवं आवेदक को कमियों का निवारण करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाएगा
- नोटरी शपथ पत्र अध्यक्षा/ महामंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें निम्न बिन्दु वर्णित किये
 जायेगें-
 - 1) आवेदित संस्था के नाम से मेरी जानकारी में पूर्व में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है, यदि पंजीकृत पायी जाती है तो संस्था का नाम परिवर्तन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
 - 2) संस्था द्वारा लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं किया जायेगा।
 - 3) संस्था द्वारा स्मृति पत्र में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार साहित्यिक वैज्ञानिक या धर्मार्थ (जो भी लागू हो) कार्य किये जायेगें।
 - 4) संस्था के समस्त पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर मेरे समक्ष किये गये है।

According To the Rule-4 Uttar Pradesh Societies Registration Rules 1976, the rules and Regulations of a society may provide for the following matters:-

- (a) The conditions of eligibility for membership of the society.
- (b) The conditions under which the membership of the society shall cease.

- (c) The consequences of non-payment of the subscriptions, if any.
- (d) The resignation and expulsion from the membership of the society.
- (e) If the society is a trust, the appointment and removal of trustees and their powers and duties.
- (f) Provisions for annual general meeting and other meetings of the society, their time and place.
- (g) The manner in which advance notice of such meetings may be given.
- (h) The quorum necessary for the transaction of business at meetings may be given.
- (i) The manner of making, altering and rescinding of rules and regulations.
- (j) The investment of fund, keeping of accounts, preparation of balance sheet and for an annual or periodical audit thereof.
- (k) The procedure for the dissolution of the society.
- (I) Disposal of the property of the dissolved society.
- (m) Manner of framing of bye- laws, if any, and matters to be provided therein.
- (n) Such other matters as may be deemed expedient have regard to the nature and objects of the society.

आवेदन की प्रकिया निम्न है:-

- बार्यी तरफ society task menu में "नई संस्था के लिए आवेदन" पर click करें।
- Select your language
- संस्था का नाम अंकित कर उपलब्धता की जांच करे एवं अगले column में संस्था का पता अंकित करें।
- जिला चयन करें, पिनकोड, मोबाइल नंबर अंकित करें व कार्यक्षेत्र अंकित कर submit करें।
- संस्था के उद्देश्यों का चयन करें (tick करें) एवं submit करें व proceed बटन पर click करें।
- संस्था के उद्देश्यों को column में अंकित करें।
- नोटरी शपथ पत्र उल्लिखित विवरण अनुसार एवं संस्था के गठन की कार्यवाही दिए गए
 निर्देशानुसार निर्धारित format में अपलोड करें व proceed बटन पर click करें।
- प्रबंध समिति के पदाधिकरियौं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नंबर,
 व्यवसाय, पद व ईमेल अंकित करें।
- फोटो, हस्ताक्षर, पहचान प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र इत्यादि दिए गए निर्देशानुसार निर्धारित format में अपलोड कर submit करें|
- साधारण सभा के सदस्यों का नाम, पिता का नाम, पता, व्यवसाय, व सदस्यता का प्रकार अंकित कर proceed बटन पर click करें|
- नियमावली में सदस्यों के प्रकार का चयन कर सदस्यता शुल्क भरें।
- सदस्य बनाने की प्रक्रिया अंकित कर submit करें व proceed बटन पर click करें।

- साधारण सभा की बैठक हेतु सूचना अविध, कोरम, विशेष अधिवेशन की तिथि व साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य अंकित कर submit करें।
- प्रबंध समिति की बैठक हेतु सूचना अविध, कोरम, अधिकार व कर्त्तव्य, कार्यकाल व निर्वाचन प्रक्रिया अंकित कर submit करें व proceed बटन पर click करें।
- प्रबंध समिति के पदाधिकारियों का चयन करते हुए उनके अधिकार व कर्त्तव्य अंकित कर submit करें व proceed बटन पर click करें|
- दिए गए options में से संस्था के आय के स्रोत tick कर submit करें व proceed बटन पर click करें।
- संस्था के विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व जिसे सौंपा गया हो उसका पदनाम अंकित करें एवं शेष box में tick कर submit करें|
- श्ल्क के भ्गतान के लिए केवल internet explorer व Mozilla firefox का ही प्रयोग करें।
- शुल्क का भुगतान केवल internet banking के माध्यम से किया जायेगा|

नोट:

- 1- सोसाइटी के पंजीयन हेतु कार्यालय में प्रस्तुतीकरण की दिनांक पर उपस्थित होने के समय संस्था के स्मृति पत्र के प्रत्येक पृष्ट पर संस्था के साधारण सभा के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है तथा नियमावली पत्र के प्रत्येक पृष्ट पर सचिव अथवा प्रबंधक के साथ किन्ही 3 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
- 2- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत कार्यालय की वेबसाइट पर आनलाइन सोसाइटी के पंजीकरण हेतु पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त कार्यालय द्वारा एक प्रजेन्टेशन डेट (प्रस्तुतीकरण की तिथि) दी जायेगी, जिसकी सूचना संस्था के मुख्य पदाधिकारी को उनके द्वारा प्रस्तुत मोबाइल नं0 तथा ई-मेल पर दी जायेगी। उक्त प्रस्तुतीकरण की तिथि पर बाइलाज(स्मृति पत्र एवं नियमावली) तथा साधारण सभा का प्रिन्टआउट लेकर उसके प्रत्येक पृष्ठ पर सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के मूल रूप में हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही अपलोड किये गये समस्त प्रपत्रों की मूल प्रति प्रस्तुतीकरण की तिथि पर जाच हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 3- सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन हेतु पेमेंट विभाग के वेबसाइट द्वारा पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही करे।
- 4- नोटरी शपथ पत्र १०/- रु० के स्टाम्प पेपर पर फोटो सहित ही दिया जाना चाहिए |
- 5- साधारण सभा की बैठक तथा शपथ-पत्र का उदाहरण नीचे दिए गए है:-
- 6- हिन्दी में सोसाइटी पंजीयन हेतु यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग करे |

- 7- ऑनलाइन सोसाइटी पंजीयन हेतु जमा शुल्क सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम १८६० के अनुसार वापस किये जाने का प्रावधान नहीं है|
- 8- संस्था पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु प्रस्तुतीकरण की तिथि आवंटित होने पर 15 दिन के अंदर प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- 9- आपत्तियों का निवारण 15 दिन के अंदर किया जाना आवश्यक होगा।अधिकतम 30 दिन तक निवारण न किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संस्था के गठन की कार्यवाही

आज दिनांक को प्रातः 10 बजे पूर्व सूचना के अनुसार संस्था के कार्यालय पर श्री की अध्यक्षता में एक साधारण सभा की सामान्य बैठक बुलाई गयी।

प्रस्ताव सं0-1:	उपस्थित सभी सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि भविष्य में आयोजित बैठकों की
संस्था की बैठकों की अध्यक्षता करने	अध्यक्षता हेतु श्री को नियुक्ति किया गया है जिसका समर्थन उपस्थित समस्त सदस्यों
पर विचार	ने हाथ उठाकर एक स्वर से सहमति व्यक्त की ।
प्रस्ताव सं0-2	अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि एक संस्था का गठन
संस्था के गठन तथा नामाकन पर	किया जा रहा है जिसका नाम सोसाइटी ग्राम,
विचार	पो0, तह0, जिला रखा जा रहा है। उपस्थित सभी सदस्यों ने उक्त
	प्रस्ताव (नाम व कार्यालय) पर विचार कर प्रस्ताव को पारित कर दिया।
प्रस्ताव सं0-3	सर्व सम्मति से संस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं
सम्पूर्ण प्रबंधकारिणी समिति के	सदस्यों का चुनाव किया गयाः
चुनाव पर विचार	

क्र0सं0	नाम	पद	फोटो	हस्ताक्षर
1	40.7			
2				
3				
4				
5				
6				
7				

	<u>शपथ-पत्र</u>
	मैं शपथी, आयु लगभग वर्ष पुत्र श्री निवासी- ग्राम, पो0, तह0, जिला
एक सोस	ाइटी, के नाम से पंजीकरण कराना चाहता हूँ
जिसका	मैं चुना गया हूँ शपथ पूर्वक बयान करता हूँ :-
1.	यह कि मेरे संज्ञान में आवेदित सोसाइटी नाम से कोई पूर्व पंजीकृत सोसाइटी नही है न ही मेरी संस्था का
	उद्देश्य किसी पूर्व पंजीकृत/अपंजीकृत सोसाइटी की प्रबंधसमिति/परिसम्पत्तियों में अनावश्यक हस्तक्षेप या बलात कब्जे का
	है।
2.	यह कि उक्त सोसाइटी नाम से पूर्व पंजीकृत संस्था पायी जाती है तो मैं अपनी सोसाइटी का नाम
	्र परिवर्तित कर लूँगा । अन्यथा की स्थिति में मेरी संस्था का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाए मुझे कोई आपत्ति नही होगी ।
3.	संस्था का उदेश्य सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, साहित्यिक होगा तथा संस्था का उदेश्य लाभ अर्जित करना नहीं होगा।
4.	यह कि स्मृति पत्र व नियमावली पर जिन सदस्यों/पदाधिकारियों के नाम व पते दर्ज है वह मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसा
	सत्य व सही है। स्मृति पत्र व नियमावली में अंकित हस्ताक्षर स्मृति पत्र में वर्णित व्यक्तियों द्वारा ही किये गये हैं।
	शपथी का हस्ताक्ष
	<u>सत्यापन</u>
	मैं सत्यापित करता हूँ कि शपथ-पत्र की धारा-1 से 3 तक मेरे निजी ज्ञान से पूर्ण सत्य व सही है जिसे आज दिनांक
	को अपना हस्ताक्षर बनाकर सत्यापित किया है।
.	
दिनांकः-	शपथी का हस्ताक्षर

/**प्रबन्ध समिति के सभी पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा पंजीकरण हेतु दिए जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप******/

समक्ष:-	उप/सहायक निबंधक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, मण्डल।
	<u>शपथ-पत्र</u>
	मैं, शपथकर्ता आयुवर्ष
निवासी	, शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ :-
1.	यह कि शपथपकर्ता, सोसाइटी पता पता को उपनिबन्धक/सहायक निबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स के कार्यालय मे पंजीकृत कराना चाहता है
2.	यह कि शपथकर्ता संस्था की साधारण सभा द्वारा आहूत बैठक दिनांक में सर्वसम्मति से
	(प्रबन्धसमिति में धारित पद) पद पर चयनित किया गया है।
3.	यह कि शपथकर्ता को किसी भी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा अनुन्मोचित दिवालिया (Undischarged
4.	Insolvent) घोषित नही किया गया है। यह कि शपथकर्ता को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा सोसाइटी अथवा निगमित निकाय के गठन, प्रोन्नति, प्रबन्धन या
	कार्यकलापों के संचालन से सम्बन्धित किसी अपराध या ऐसे अपराध, जिसमे नैतिक अधमता अन्तग्रस्त है, के लिये दोषसिद्ध नहीं किया गया है अथवा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे किसी दाण्डिक अपराध मे, जिसके लिये दो वर्ष या उससे अधिक
	का दण्ड हो, निर्णय के दिनांक से शासी निकाय का सदस्य या अध्यक्ष, सचिव या किसी अन्य पद-धारक के रूप मे चुने जाने के लिये या होने के लिये निरर्ह करता हो, दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
	हस्ताक्षर शपथकर्ता
	<u>सत्यापन</u>
	मैं सत्यापित करता हूँ कि शपथ-पत्र की धारा-1 से 3 तक मेरे निजी ज्ञान से पूर्ण सत्य व सही है जिसे आज दिनांक
	को(स्थान) में अपने हस्ताक्षर बनाकर सत्यापित किया है।
टिनांक∙₋	
ख्यानः- स्थानः-	
\ -(1'11+"	हस्ताक्षर शपथकर्ता


नोट - उक्त शपथ पत्र फोटोयुक्त तथा आधार की स्वाभिप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।

संस्था पजीकरण हेतु प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी / सदस्यों का विवरण तथा शपथ-पत्र अपडेट करने हेतु


1. सर्व प्रथम लंबित सोसाइटी पर जाए -




- 2. दाई तरफ के select बटन को क्लिक करे |
- 3. अगले page को scroll करके बायीं तरफ के मेनू में कार्यकारिणी समिति पर क्लिक करे |



4. कार्यकारिणी समिति वाला page खुल जाएगा |



5. select बटन क्लिक करते ही विवरण अपडेट करने का आप्शन खुल जाएगा



6. उपरोक्त pannel दवारा विवरण अपडेट किया जा सकता है |

फर्म के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक निर्देश

- उद्यमी फर्म रजिस्ट्रेशन हेतु निवेश मित्र की वेबसाइट https://niveshmitra.up.nic.in/ पर जायें |
- वेबसाइट पर प्रदर्शित "Login" पर क्लिक करे तथा login page पर "Register here" पर क्लिक कर Entrepreneur registration process कम्पलीट करे login ID व password सुरक्षित कर ले |
- login ID व password बन जाने के उपरान्त निवेश मित्र की वेबसाइट पर "Login " करे |
- "Login" के उपरान्त फर्म से सम्बंधित विवरण भरे जैसे common details, communication details, permanent address detail तथा unit Details आदि |
- इकाइयों का विवरण भरे तथा ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से सत्यापित करें |
- विवरण भरे जाने के उपरान्त Apply For Permission/NOC/License पर क्लिक करे ।
- Drop Down box में unit सेलेक्ट करे उसके उपरान्त विभाग चुने तथा सर्विस का प्रकार चुने ।
- सर्विस का प्रकार च्नने के उपरान्त न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करे |
- न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक के उपरान्त पुनः Drop Down box में unit सेलेक्ट करे उसके उपरान्त विभाग चुने तथा सर्विस का प्रकार चुने तथा View applied application पर क्लिक करे |
- नीचे दिए विवरण में Fill/View Form के option पर क्लिक करे |
- Fill/View Form के option पर क्लिक करते ही आपके आवेदन को विभाग के वेबसाइट पर Redirect कर दिया जाएगा तथा NEW Application भरने हेत् पेज खुल जाएगा |
- वेब पेज पर अंकित निर्देशों का अनुपालन करते हुए सावधानी पूर्वक विवरण अंकित कर ऑनलाइन पंजीकरण की औपचारिकता पूरी करें।
- फर्म के पंजीकरण हेतु निम्न औपचारिकतायें पहले पूंर्ण कर ले -:
 - o साझेदारों का फोटो व हस्ताक्षर computer में किसी फोल्डर में jpg format में save कर लें|
 - फोटोयुक्त नोटरी शपथ पत्र, फोटोयुक्त साझेदारी विलेख की नोटरी/प्रमाणित छायाप्रति व साझेदारों के पते का पहचान पत्र "AADHAR CARD" वोटर कार्ड, पैन कार्ड PDF format में computer में किसी फोल्डर में save कर लें|
- बायीं तरफ firm task menu में "नई फर्म के लिए आवेदन" पर click करें|
- फर्म का नाम अंकित कर उपलब्धता की जांच करे एवं फर्म का मुख्य पता अंकित करें (समस्त विवरण साझेदारी विलेख के अनुसार अंकित करें)|
- फर्म के नाम में "Pvt", "Pvt.", "Itd", "Itd.", "Comp", "Comp.", "Co.", "Company", "finance", "Corporation", "Corp", "Corp.", "Inc.", "Inc.", "LLP", "JV", "joint venture" शब्द व फर्म का ऐसा नाम जिससे राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के संरक्षण का बोध हो का उपयोग वर्जित है | (शासनादेश के अनुसार)
- जिला चयन करें, पिनकोड, मोबाइल नंबर अंकित करें व भागीदारी तिथि अंकित करें करें (समस्त विवरण साझेदारी विलेख के अनुसार अंकित करें)|
- फोटोयुक्त नोटरी शपथ पत्र, फोटोयुक्त साझेदारी विलेख PDF format में अपलोड करें|

- फर्म द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय साझेदारी विलेख के अनुसार अंकित करें|
- फर्म द्वारा यदि कहीं और व्यवसाय किया जा रहा हो तो विवरण भरें।
- पार्टनर का नाम, पिता का नाम, पता, जन्म तिथि अंकित कर फोटो, हस्ताक्षर, पहचान प्रमाण पत्र, पता
 प्रमाण पत्र,पैन कार्ड इत्यादि दिए गए निर्देशानुसार निर्धारित format में अपलोड करें।
- Format for documents फोटो (less then 100KB in JPEG,PNG), हस्ताक्षर (less then 50KB in JPEG, PNG), पहचान प्रमाण पत्र,पता प्रमाण पत्र तथा पैन कार्ड PDF Format (Each file should less than 1 MB)
- मुख्य पार्टनर का नाम चुने|
- Submit कर प्रक्रिया पूर्ण करें|
- शुल्क के भुगतान के लिए Make Consolidate Payment through Single Window Portal पर क्लिक करे |
- Make Consolidate Payment through Single Window Portal पर क्लिक करने के उपरान्त आप के आवेदन से सम्बंधित शुल्क तथा उसका विवरण निवेश मित्र के पोर्टल पर Pay Consolidate Fee में दिखने लगेगा |
- शुल्क का भुगतान केवल निवेश मित्र के माध्यम से ऑनलाइन किया जायेगा।
- प्रस्तुतीकरण दिनांक जारी किये जाने के उपरान्त फर्म के पंजीकरण हेतु कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र एवं आवश्यक दिशा निर्देश :
 - o फार्म-1(कार्यालय द्वारा प्रस्तुतीकरण दिनांक जारी किये जाने के उपरान्त ही फार्म-1 प्रिन्ट हो पायेगा) |
 - फार्म-1 पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर अंकित होना अनिवार्य है।
 - फोटोयुक्त नोटरी शपथ पत्र, जिसमे उल्लेख हो कि फार्म-1 मे दी गयी समस्त जानकारी सत्य व सही है
 (नोटरी शपथ पत्र का प्रारूप नीचे दिया गया है)
 - पार्टनरिशप डीड की स्वप्रमाणित छायाप्रति (पार्टनरिशप डीड का प्रारूप नीचे दिया गया है) |
 - साझेदारों के पते एवं पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति |
 - पंजीकरण शुल्क रू0 5000/- (ऑनलाइन पेमेंट) |
 - शुल्क भुगतान के चालान की प्रति (विभागीय वेबसाइट पर फर्म मेनू में उपलब्ध लिंक द्वारा प्रिन्ट करे)
 - फर्म पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र सम्बंधित उपनिबंधक को संबोधित होगा।

नोट: 1: भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अन्तर्गत साझेदारी फर्म के आनलाइन पंजीयन हेतु पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त कार्यालय द्वारा एक प्रजेन्टेशन डेट (प्रस्तुतीकरण की तिथि) दी जायेगी, जिसकी सूचना फर्म के प्रथम साझीदार को उनके द्वारा प्रस्तुत मोबाइल नं0 तथा ई-मेल पर दी जायेगी। फार्म नं0 1 पर मूल रूप में हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही अपलोड किये गये समस्त प्रपत्रों की मूल प्रति प्रस्तुतीकरण की तिथि पर जाँच हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2: हिन्दी में फर्म पंजीयन हेत् यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग करे |

3: फर्म के रजिस्ट्रेशन हेतु पेमेंट निवेश मित्र पोर्टल के वेबसाइट द्वारा पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही करे|

4: फोटोयुक्त नोटरी शपथ पत्र १०/- रु० के स्टाम्प पेपर पर फोटो सहित ही दिया जाना चाहिए |

- 5 : यदि फर्म का पता, भागिदार के पते से भिन्न है तो फर्म के पते का प्रमाण एवम किराया नामा देना अनिवार्य है |
- 6: ऑनलाइन भागीदारी फर्म पंजीयन हेतु जमा शुल्क भारतीय भागीदारी अधिनियम १९३२ के अनुसार वापस किये जाने का प्रावधान नहीं है|
- 7: फर्म के प्रारम्भ करने की तिथि पार्टनरशिप डीड की तिथि से पहले की नहीं होनी चाहिए
- 8: भागीदारी विलेख में साझेदारो एवं गवाहों के हस्ताक्षर अंकित होना अनिवार्य है|
- 9: नोटरी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर होना चाहिए |
- 10: यदि फर्म एक वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है तो फर्म का जीएसटी पंजीकरण व पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य है |
- 11: फर्म का पता पार्टनरशिप डीड के अनुसार अंकित होना अनिवार्य है |
- 12: भागीदारी/ साझेदारी विलेख तथा नोटरी शपथ पत्र का उदाहरण नीचे दिए गए है: -

/***********	शपथ पत्र	****	*****	*****	*****	******	*********/

समक्ष,

डिप्टी/सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

.....

शपथ पत्र

मैं पता षपथपूर्वक बयान करता हूं।

- 1- यह कि शपथी मेसर्स-..... पता,जिला-.... का साझेदार है।
- 2- यह कि मेरे अलावा श्री पुत्र अन्य साझेदार है।
- 3- यह कि फार्म नं0-1 में कालम नं0 1 से 7 तक वह सत्य एवं सही हैं।
- 4- साझेदारी विलेख में दिए गए नियमो का पालन सभी साझेदारो द्वारा किया जाएगा।

शपथी

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की धारा 1 से 4 मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास में सही व सत्य हैं तथा किसी प्रकार का तथ्य गोपन नहीं किया गया है आज कचेहरी में अपने हस्ताक्षर बनाकर सत्यापित किया

शपथी

/************************ <u>साझदारा विलख</u> *******************/
<u>साझेदारी विलेख</u>
साझेदारी का यह विलेख खूब सोच समझकर लिखा गया जो निम्न है:-
(1) आयु वर्ष पुत्र श्री पता जिला ।
प्रथमपक्ष
एवं
(2) आयु वर्ष पुत्र श्री पता जिला ।
द्वितीय पक्ष
के मध्य निम्न शर्तो के अनुसार इकरार करते हैं कि:
(1) यह कि हम प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष मेसर्सःपतापतापता
ने दिनांक से साझेदारी प्रारम्भ की है।
(2) यह कि फर्म का कार्य करेगी।
(3) यह कि उक्त फर्म के व्यवसाय को शुरू करने में जो भी पूँजी लगेगी उसको प्रथम एवं द्वितीय पक्ष मिलकर लाभांष प्रतिषत के अनुसार लगायेगें।
(4) यह कि फर्म के व्यवसाय में साझीदारों के लाभांष का प्रतिषत निम्नवत रहेगा।
1-प्रथम पक्ष प्रतिषत
2-द्वितीय पक्ष प्रतिषत
(5) यह कि फर्म के लेनदेन व हिसाब को सही रूप से संचालित करने हेतु एक खाता फर्म के नाम से किसी भी

राष्ट्रीयकृत बैंक,सरकारी बैंक शेड्यूल्ड बैंक,व्यवसायिक बैंक या पो0 आफिस में खोलकर धन जमा किया जायेगा ।

जिसका संचालन (आहरण) प्रथम/द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर से होगा। फर्म अन्यत्र भी शाखा कार्यालय खोल सकती हे

जिसकी सूचना सम्बन्धित कार्यालय में एक माह के अन्दर देनी होगी।

- (6) यह कि फर्म से सम्बन्धित सभी खर्चे, किराया,बिजली का बिल,यात्रा व्यय कर्मचारियों का वेतन व अन्य जरूरी खर्चे सभी साझेदार लाभाष के प्रतिषत के अनुसार करेगे तथा आय व्यय का एक वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर तैयार किया/कराया जायेगा।
- (7) यह कि यदि साझेदार आवश्यक समझते हैं कि फर्म के व्यवसाय के लिये और धन की आवष्यकता है तो वे आपसी सहमति से किसी बैंक या वित्तीय वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त कर सकते हैं जिसके अदायगी की जिम्मेदारी सभी साझीदारों की लाभांष के प्रतिषत के अनुसार होगी।
- (8) यह कि फर्म के साझेदार कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगें जो गैर कानूनी हो या जिससे फर्म की सम्पत्ति को हानि पहुचे एवं मानहानि हो।
- (9) यह कि यदि भागीदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो वह आपस में ही बैठकर सुलझा लेंगे यदि नहीं सुलझता है तो उसका निर्णय भागीदारी विलेख अधिनियम की शर्तो के अनुसार ही होगा और सभी साझेदारों को मान्य होगा।
- (10) यह कि इस साझेदारी में सभी साझेदारों के साझेदारी की अवधि इच्छानुसार होगी।
- (11) यह कि फर्म के वाद विवाद की पैरवी का न्यायिक क्षेत्र होगा।
- (12) यह कि इस साझेदारी की समस्त शर्तों से साझेदार, उनके वारिस विधिक प्रतिनिधि, एवं उत्तराधिकारी भी पाबन्द होंगे।

लिहाजा खूब सोच व समझकर, प्रसन्न चित्त मन से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के अपने पूर्ण होषो हवास में समक्ष गवाहान यह भागीदारी विलेख लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त पर प्रमाण स्वरूप काम आवे।

दिनांक	प्रथम पक्ष
स्थान	द्वितीय पक्ष

फर्म के आवेदन में संसोधन की प्रक्रिया

- निवेश मित्र की वेबसाइट के माध्यम से सर्व प्रथम विभागीय वेबसाईट पर आये | मेनू लिस्ट से लंबित फर्म्स पर क्लिक करे | दाहिनी तरफ दिख रहे SELECT बटन पर क्लिक करे |
- फर्म का विवरण तथा आपत्ति के उत्तर वाला पेज पर फर्म का विवरण दिखने लगेगा तथा आपत्ति दूर करने के लिए Add and Update details बटन पर क्लिक करें, FIRM EDIT पेज खुल जाएगा | आवेदन की आपत्तियो का ऑनलाइन निराकरण करें।
- पंजीकरण पर कार्यालय द्वारा लगाई गयी समस्त आपत्तियो का निराकरण कर ऑनलाइन अपलोड / सबिमट कर दे | आपत्तियो का उत्तर सबिमट करने से पहले कृपया यह सुनिश्चित कर ले कि सभी आपत्तियो का निराकरण कर दिया गया है |उत्तर सबिमट करने के बाद आप अपने आवेदन में संशोधन नहीं कर सकेंगे |

संस्था के ऑनलाइन नवीनीकरण हेत् आवश्यक निर्देश

- सर्वप्रथम internet explorer अथवा Firefox पर विभाग की वेबसाइट <u>www.uprfsc.gov.in</u> हेतु URL अंकित करे |
- वेबसाइट पर हरी पट्टी में अंकित "रजिस्टर" पर क्लिक करे |
- वेब पेज पर अपना वांछित user ID अंकित करे और उपलब्धता की जाँच करें
- अपना पूरा नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, पता, ईमेल व captcha अंकित कर submit बटन क्लिक करें |
- भरे गए विवरण में अंकित ईमेल को खोले |
- Department of FSC की तरफ से प्राप्त ईमेल खोले एवं उसमे दिए गए लिंक पर क्लिक करें |
- नए pop window में मोबाइल पर प्राप्त OTP अंकित करें।
- वेब पेज पर सबसे ऊपर अंकित निर्देशानुसार अपना password बनाये एवं अगले column में पुनः password (confirm) अंकित करें |
- Security question choose अंकित करें |
- Choose किये गए security question का उत्तर भरें |
- captcha अंकित कर change password बटन क्लिक करें |
- वेबसाइट पर हरी पट्टी में अंकित "लॉग इन" पर क्लिक करे |
- login ID व password व captcha अंकित कर "login" पर क्लिक करें |
- login उपरांत वेब पेज पर अंकित निर्देशों का अनुपालन करते हुए सावधानी पूर्वक विवरण अंकित कर ऑनलाइन पंजीकरण की औपचारिकता पूरी करें।
- संस्था के नवीनीकरण हेत् विवरण निम्न है -
 - संस्था का नाम - - -
 - संस्था का पता - - -
 - क्या आप संस्था का नाम/पता परिवर्तित करना चाहते हैं-
 - यदि हा तो संस्था का नया नाम डालें-
 - ० संस्था का पता -
 - मोबाइल नम्बर -
 - o **ई-मेल -**
 - फाईल नम्बर-
 - रजिस्ट्रेशन नम्बर -
 - संस्था का पंजीयन दिनांक

संस्था के पंजीयन की वैधता तिथि

- नोटरी शपथपत्र सम्बंधित विवरण -
 - ० संस्था के सचिव/अध्यक्ष द्वारा दिया जाने वाला नोटरी शपथपत्र
 - संस्था की प्रबन्धसमिति किसी भी कार्यालय/न्यायालय में विवादित नहीं है।
 - संस्था द्वारा किसी विभाग अथवा राज्य सरकार व केन्द्र सकरार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होने का विवरण।
 - ० संस्था की आय-व्यय का विवरण।
 - ० संस्था को किसी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाले जाने का विवरण ।
 - संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों द्वारा किसी भी प्रकार का लाभ अर्जित नहीं किये जाने की घोषणा।
 - संस्था में कोई प्रबन्धकीय विवाद न होने का विवरण ।
 - ० संस्था के बैंक खाते का विवरण
 - ० संस्था के साधारण सभा के सदस्यों की संख्या

नवीनीकरण के समय प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों की सूची.

अभिलेख का नाम	हा	नहीं	लाग् नहीं
2	3	4	5
मूल प्रमाणपत्र	1		
मूल प्रमाणपत्र खो जाने/संस्था में			
प्रबन्धकीय विवाद न होने का नोटरी			
शपथपत्र			
प्रबन्धसमिति की सूची			
(पंजीकरण/विगत नवीनीकरण की दिनांक			
से अद्यतन वर्षवार)			
आय-व्यय विवरण/बैलेन्सशीट			
(पंजीकरण/विगत नवीनीकरण की			
दिनांक से अद्यतन वर्षवार)			
प्रबन्धसमिति के प्रत्येक चुनाव की			
कार्यवाही			
पुष्टि की कार्यवाही			
शोक प्रस्ताव की कार्यवाही			
त्यागपत्र स्वीकृत सम्बन्धी कार्यवाही			
रिक्त स्थानपूर्ति की कार्यवाही			
मृतक पदाधिकारियों/सदस्यों के मृत्य्			
प्रमाणपत्र की छायाप्रति			
	2 मूल प्रमाणपत्र मूल प्रमाणपत्र खो जाने/संस्था में प्रबन्धकीय विवाद न होने का नोटरी शपथपत्र प्रबन्धसमिति की सूची (पंजीकरण/विगत नवीनीकरण की दिनांक से अद्यतन वर्षवार) आय-व्यय विवरण/बैलेन्सशीट (पंजीकरण/विगत नवीनीकरण की दिनांक से अद्यतन वर्षवार) प्रबन्धसमिति के प्रत्येक चुनाव की कार्यवाही पुष्टि की कार्यवाही शोक प्रस्ताव की कार्यवाही रिक्त स्थानपूर्ति की कार्यवाही मृतक पदाधिकारियों/सदस्यों के मृत्यु	2 मूल प्रमाणपत्र मूल प्रमाणपत्र खो जाने/संस्था में प्रबन्धकीय विवाद न होने का नोटरी शपथपत्र प्रबन्धसमिति की सूची (पंजीकरण/विगत नवीनीकरण की दिनांक से अद्यतन वर्षवार) आय-व्यय विवरण/बैलेन्सशीट (पंजीकरण/विगत नवीनीकरण की दिनांक से अद्यतन वर्षवार) प्रबन्धसमिति के प्रत्येक चुनाव की कार्यवाही पुष्टि की कार्यवाही शोक प्रस्ताव की कार्यवाही त्यागपत्र स्वीकृत सम्बन्धी कार्यवाही रिक्त स्थानपूर्ति की कार्यवाही मृतक पदाधिकारियों/सदस्यों के मृत्यु	2 3 4 मूल प्रमाणपत्र मूल प्रमाणपत्र खो जाने/संस्था में प्रबन्धकीय विवाद न होने का नोटरी शपथपत्र प्रबन्धसमिति की सूची (पंजीकरण/विगत नवीनीकरण की दिनांक से अद्यतन वर्षवार) आय-व्यय विवरण/बैलेन्सशीट (पंजीकरण/विगत नवीनीकरण की दिनांक से अद्यतन वर्षवार) प्रबन्धसमिति के प्रत्येक चुनाव की कार्यवाही पुष्टि की कार्यवाही रयागपत्र स्वीकृत सम्बन्धी कार्यवाही रिक्त स्थानपूर्ति की कार्यवाही मृतक पदाधिकारियों/सदस्यों के मृत्यु

13.	त्यागपत्र की छायाप्रति		
	संस्था की प्रबन्धसमिति के चार		
	पदाधिकारियों के आधार कार्ड की		
	छायाप्रति		
	संस्था के मूल अभिलेख		
	ए- एजेण्डा रजिस्टर		
	बी- कार्यवाही रजिस्टर		4
	सी- सदस्यता रजिस्टर		
14	डी- कैशबुक		
	ई- सदस्यता रसीदबुक	, 1)
	एफ-संस्था के खाते की बैंक पासबुक		
	संस्था के नाम में परिवर्तन हेतु-		
15 16	ए- नाम परिवर्तन के अनुमित सम्बन्धी कार्यवाही		
	बी- परिवर्तित नाम के सम्बन्ध में नोटरी शपथपत्र		
	सी- नाम परिवर्तन अनुमित प्राप्त होने के उपरान्त नाम परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही		
17.	डी- संशोधित स्मृतिपत्र व नियमावली		
	पता परिवर्तन हेतु-		

• नवीनीकरण हेतु आन लाइन पेमेन्ट विभाग के वेबसाइट द्वारा पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही करे।

नोट: 1- सोसाइटी के नवीनीकरण हेतु कार्यालय में प्रस्तुतीकरण की दिनांक पर उपस्थित होने के समय संस्था से सम्बंधित सभी प्रपत्रों पर (affedevit एंड एप्लीकेशन को छोड़ कर) वर्तमान समय में पदाधिकारियों व् सदस्यों में से किन्ही ४ के हस्ताक्षर (संस्था के मोहर सहित) प्रत्येक पृष्ट पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य है |

- 2- संस्था पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु प्रस्तुतीकरण की तिथि आवंटित होने पर 15 दिन के अंदर प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- 3- आपत्तियों का निवारण 15 दिन के अंदर किया जाना आवश्यक होगा।अधिकतम 30 दिन तक निवारण न किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

/∗∗प्रबन्ध समिति के सभी पदाधिकारी/सदस्यों द्वारा नवीनीकरण हेतु दिए जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप∗∗/

समक्ष:-	उप/सहायक निबंधक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, मण्डल।
	<u>शपथ-पत्र</u>
निवासी	मैं, शपथकर्ता आयुवर्ष , शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ :-
1.	यह कि शपथपकर्ता, सोसाइटीपंजीकृत पताको दिनांकसे उपनिबन्धक/सहायक निबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्सके कार्यालय मे पंजीकृत है एवं जिसकी पत्रावली संहै, का(प्रबन्धसमिति मे धारित पदनाम) हूँ। शपथकर्ता उक्त पद पर प्रबन्धसमिति के निर्वाचन दिनांकमे साधारण सभा द्वारा बहुमत से चयनित है।
2.	यह कि शपथकर्ता को किसी भी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा अनुन्मोचित दिवालिया (Undischarged Insolvent) घोषित नहीं किया गया है। संस्था का उदेश्य सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, साहित्यिक होगा तथा संस्था का उदेश्य लाभ अर्जित करना नहीं होगा।
3.	यह कि शपथकर्ता को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा सोसाइटी अथवा निगमित निकाय के गठन, प्रोन्नति, प्रबन्धन या कार्यकलापों के संचालन से सम्बन्धित किसी अपराध या ऐसे अपराध, जिसमे नैतिक अधमता अन्तग्रस्त है, के लिये दोषसिद्ध नहीं किया गया है अथवा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे किसी दाण्डिक अपराध मे, जिसके लिये दो वर्ष या उससे अधिक का दण्ड हो, निर्णय के दिनांक से शासी निकाय का सदस्य या अध्यक्ष, सचिव या किसी अन्य पद-धारक के रूप मे चुने जाने के लिये या होने के लिये निरर्ह करता हो, दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
	हस्ताक्षर शपथकर्ता सत्यापन
	मैं सत्यापित करता हूँ कि शपथ-पत्र की धारा-1 से 3 तक मेरे निजी ज्ञान से पूर्ण सत्य व सही है जिसे आज दिनांक को(स्थान) में अपने हस्ताक्षर बनाकर सत्यापित किया है।
दिनांकः- 	
स्थानः-	हस्ताक्षर शपथकर्ता

नोट - उक्त शपथ पत्र फोटोयुक्त तथा आधार की स्वाभिप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।

Requirement and Process Flow of Online registration of chits

Requirement: Department chit registration online by department portal. User will be able to give online application for registration using following process listed below:

For chit Registration there are two stages:

- 1: Prior sanction for Chit Registration.
- 2: Application for endorsement of chit registration and commencement of chit.
- **1: Prior sanction for Chit Registration**. User will provide details about company and chit to be started. Details contains following fields listed below:
 - •
 - Name of Company/ Chit.
 - Address of Company/Chit.
 - Company CIN NO(as text)
 - Name Of MD/Director
 - Father Name MD/Director.
 - Mobile.
 - Email.
 - Chit group no.(every time it will change unique)
 - Chit amount.
 - Period of chit group.
 - Description of security offered (upload as pdf).
 - Form-1 (signed upload as pdf).
 - Statement of particular i.e. annexure of form-1. (Upload as pdf).
 - Upload sign of MD / Director of company.(upload as Image)
 - Minutes of Meetings of boards of directors (signed upload as pdf).
 - Article of association (for New Company only and if Exiting then Not Required)
 - Memorandum Of Association
 - Certificate of incorporation no of the company (signed upload as pdf & if exiting then not required).
 - Certificate of paidup capital of company (for New Company only and if Exiting then Not required).
 - Draft copy of chit agreement (for New Company only and if Exiting then Not required).
 - Total No Of Members
 - Total No Of Agreement

After submission of above details .new page for member's details will open and user will provide members/subscriber details. Members details contains following fields listed below:

- Name
- Nominee Name
- Address of member

When User Will Provide information about chit member and no of agreement of chit fee will be calculate and Fee will be deposit through online payment as Rs. 200 + Rs 2 Per Chit Agreement + 30 Rs for commencement certificate.

After payment application will be sent to patal sahayak end. When patal sahayak will verify the details then application will be forwarded to Deputy Registrar/Assistant Registrar end.

2: Application for endorsement of chit registration and commencement of chit: when application forwarded by patal sahayak to deputy registrar level, 1st presentation date will intimated to user by Deputy Registrar/Assistant Registrar level. After presentation when user will submit hard copy of all documents then Deputy Registrar/Assistant Registrar will approved the application of registration of chit and certificates will issued.


1: Certificate of prior sanction and security sufficiency

When first certificate will issued by deputy registrar then user will be able to upload Chit agreement, Form-2 and Form-5 as pdf file after uploading of file by user below listed certificates will be display on Deputy Registrar/Assistant Registrar level to issue.

- 2: Certificate of endorsement of chit.
- 3: Commencement certificate of chit.

Note: when Certificate of prior sanction and security sufficiency will issue by Deputy Registrar/Assistant Registrar level after that Certificate of endorsement of chit will be issued. If Certificate of prior sanction and security sufficiency is not issued by Deputy Registrar/Assistant Registrar then Certificate of endorsement of chit and commencement certificate of chit will not be issued. Certificate issuance will be as per chit fund act 1982 i.e.

First Certificate of prior sanction and security sufficiency then second Certificate of endorsement of chit and last Commencement certificate of chit will be Issue.



नोट : - पेमेंट से सम्बन्धित समस्या होने पर यूजर्स नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करे

1 - सर्व प्रथम society or Firm से संबधित विवरण भरने के उपरांत पेमेंट बटन क्लिक करने पर निम्न पेज पर जाए तथा विवरण भरे : -




2: विवरण भरने के उपरांत निम्न पेज पर जाए तथा next बटन क्लिक करे -



3:उपरोक्त पेज के उपरांत निम्न पेज पर जाये तथा proceed with Net-Payment क्लिक करे -

L-Challan Go	r U.P. Freasuries
Confirmation	of E-Payment
Depositor Name	User Name
Challan Number	ASA180005654
Challan Date	: 6/8/2018 2:04:05 PM
Address	N/A
Assessment Year	: 2018-2019
Tax Period	: 0
Location	: 0800-Agra
Amount of Challan	: 5000
Head Serial No.[Amount of the head	[7[5000.00]
Proceed Wit	th Net-Payment

4: Proceed with Net-Payment क्लिक करने के उपरांत बैंक पेमेंट का पेज आएगा -




यदि proceed with Net-Payment क्लिक करने के बाद उपरोक्त पेज न आये तो नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करे -


सिक्योरिटी सम्बंधित निम्न निर्देशो का पालन करे -

For Firefox users


I: Advance क्लिक करे



II - Confirm Security Exception क्लिक करे -




III- Resend क्लिक करे




For Internet Explorer Users:

- 1: If This Page Occurred then Follow This Steps
 - I- Click Tool option from Menu
 - II- Select Internet Option
 - III- Click On Security -> Trusted Sites



IV- Click Sites button new window will



V- Add 'https://Secure.up.nic.in' to text box of Add this website to the zone option, and click 'ADD' and Then Click Close Then OK Button.

Annexure -1

Model 'Memorandum of Association' of a Society

Sr. No.	Subject	Description			
1	Name of the Society	Available on live as approved by the			
		Authority			
2	The registered office of the	With proof or address			
	Society shall be at:				
3	Jurisdiction	The Society shall work within			
		District/state of the territory of State of			
		Uttar Pradesh.			
4	Aims and Objects of the	The objectives, literary, scientific or			
	Society	charitable purpose, fine arts as define in			
		section 1 and 20 of the Societies			
		Registration Act 1860. Some of the			
		indicative objectives could be as under:			
(i)	Promotion of national unity	and international peace and amity;			
(ii)	Promotion of communal and	I social harmony and brotherhood;			
(iii)		orcement of prohibition and initiate people's			
	movement against smoking,	movement against smoking, alcoholism and drug abuse;			
(iv)	To create awareness and ad-	To create awareness and addressing some of the social evils, such as, female foeticide, dowry, extravagant expenditure on social functions like			
	female foeticide, dowry, ext				
	marriages, empowerment of	f women in decision making etc. etc.			
(v)	Promotion and progress of a	griculture and animal husbandry;			
(vi)	To take up programmes for a	accelerating the pace of rural development			
	with application of science a	nd technology (techniques and technologies			
	for cost reduction, improving	g productivity, etc.) especially in the field of			
		water conservation, sanitation, low-cost housing, agriculture and animal			
		husbandry and engineering sources;			
(vii)		ensuring protection of environment and for			
		regeneration of natural resources degraded due to past neglects;			
(viii)	Promotion and extension of	Promotion and extension of appropriate technology including systems			
	having renewable sources of	having renewable sources of energy;			
(ix)	_	Promotion of cottage and small scale industries by taking up action			
	research work;				
(x)		hich science and technology may have major			
		ng conditions and opportunities for gainful			
	employment of women.				
(xi)		en services in a transparent manner with use			
	of Information and Commun	ication Technology.			

(xii)	To undertake impact evaluation of economic and social projects.
(xiii)	To undertake programmes which ensure raising of income levels and
	expanding employment opportunities of the weaker sections of the
	Society, particularly of those living below the poverty line and women by
	involving participants in the planning, implementation and maintenance
	of activities taken up.
(xiv)	To organize disadvantaged section of Society and take steps for
	increasing their level of awareness in regards to the programme contents
	and facilities therein under Government/non-Government programmes,
	legal provisions, etc. and also for increasing their bargaining power by
	promoting co-operative and group action.
(xv)	To take up all formal and non-formal educational programme as per
	directives contained in the National Policy of Education, 1986.
(xvi)	To work for promotion of sports and health care activities.
(xvii)	To raise or acquire funds or property from Central Government, State
	Government, Non-government agencies, charitable trusts by way of
	donations or grants or contribution or by taking loan from public and
	private financial institutions. The funds, properties, assets and all other
	resources, present and future, of the Society shall be utilized for any or
	all the purposes or objects of the Society as stated above and also for all
	other similar activities in furtherance of ideals of truth and non-violence.

5.	The names of the Governing Body (Managing Committee) of the Society to which the rules and byelaws of the management affairs is entrusted are as under:				
Sr. No.	Name	Father's/ Husband's	Address	Occupation	Signatures
		name			
(i)					
(ii)					
(iii)					
(iv)					
(v)					
(vi)					
(vii)					

Annexure – 2

	Explanatory notes for the Contents of the 'Byelaws' of a Society			
Sr.	Subject	Description		
No.				

1.	Name of Society	This should contain the name of the society as approved by the
	,	Dy./Asstt. Registrar.
2.	Membership of	It has been observed that the maximum number of disputes in
	Society	a Society pertain to memberships. The byelaws must address
		the issues of the maximum number of members it would like to
		fix for the Society, types of membership, the fees for each type
		of membership, the manner and the process of admitting a
		person as a member, cessation of membership etc. Further, all
		particulars of a person admitted as a member, such as Name,
		Father's name, address (both correspondence and permanent
		address), contact details (such as telephone number, email ID),
		caste or community (if the byelaws of a Society so restrict),
		may be obtained for ease of establishment of identity as well
		as timely communications.
3.	Re-admission of	The society may also lay down in its byelaws the procedure for
	expelled/ suspended	re-admission of a person as a member who ceased to be a
	members	member of the society or suspension and reinstatement of a
		member, if deemed necessary. However, it may also keep in
		view that no such member, who has been either convicted of
		an offence amounting to moral turpitude or who has been
		removed from membership on the directions of the Dy./Asstt. Registrar/ Registrar for any misconduct, should be readmitted.
4.	Members' Rights/	The byelaws of a society should clearly define the
- .	Privileges and duties	rights/privileges and duties of its members.
5.	Definition of General	"General Body" means and refers to the body of 'members' of
	Body	a Society. The constitution of collegium and election of the
		representatives of the collegium should be decided by the
		Society/ its management as deemed appropriate and clearly
		defined in the byelaws of the society.
6.	Size of the Governing	The size of the Governing body, which can vary, designations of
	Body and the	its office bearers and their powers & duties should be clearly
	Collegium	defined in the bye-laws of the society. Where a Society decides
		to keep vast membership, it will be required to constitute
		electoral colleges and the Collegium so formed shall act as the
		General Body for all intents and purposes.
7.	Elections of the	Keeping in view that memberships and elections of Societies
	Collegium/	constitute a major part of the problems in smooth
	Governing Body.	management of the affairs of a society, it is advisable that the
		procedures with regard to the elections of the Collegium and
		the Governing Body are clearly defined in the bye-laws of the
		society subject to the provisions of the Act and the rules framed there under.
8.	Torm of Governing	The tenure of the Governing Body of a Society shall be clearly
0.	Term of Governing	The tendre of the doverning body of a society shall be clearly

	Dod.	defined The book level of the position of the second of th
	Body	defined. The bye-laws of the society should also contain a provision for filling-up of vacancy of any of the office- bearers or members of the Governing body, caused due to any reason whatsoever, during its tenure or till the election of new Governing Body.
9.	Requirement of	The notice periods for convening meetings of the Governing
	Notice of meeting of	Body and the General Body should be prescribed in the
	the Governing Body	byelaws subject to the provisions of the Act and the rules there under.
10.	Quorum of Meetings	The byelaws of a Society should provide for the quorum of any meeting.
11.	Governing Body and	The byelaws may also contain a provision for convening urgent
	urgent Meetings	meetings of the Governing Body at shorter notice or without
		any formal notice with written consent of a certain percentage
		of the total strength of the Governing body.
12.	Powers of Governing	The bye laws of the society should clearly define the powers
	Body	that may be exercised by the Governing body and its office
		bearers for management of affairs of the society. The
		Governing body is the custodian of the assets of the society.
13.	Office bearer of	The byelaws of the society should also contain provisions
	Society and their	pertaining to each of the office-bearers, their designations and
	Powers	their powers & duties. The office-bearers would be entitled to
		exercise such powers as are mentioned in the byelaws of the
		society. It may be useful to specify the operation of accounts
		singly or jointly by the office-bearers in order to have proper
1.1	6	internal checks on financial transactions
14.	General Secretary/	The responsibility for convening the meetings of a Society
	Secretary	should generally vest in the Secretary/ General Secretary of the
		society who will also be the custodian of all records,
		documents, title deeds etc. of the society. Unless otherwise
		provided in the Byelaws, the Secretary will be responsible for
	Δ	implementing the decisions of the governing body and act as
		the compliance officer of the society for various types of statutory compliances under the Act.
15.	Management of	One of the members of the governing body should be
13.	funds	designated as a Treasurer who should be responsible for
	Turius	proper management of funds and assets of the society as well
		as proper maintenance of the books of accounts according to
		the byelaws/rules of the society. He should be the custodian of
		all books of accounts/ statutory records and cheque- books of
		all bank accounts, FDRs, etc. The Byelaws should also specify
		the officer responsible for filing of all the documents in the
		office of the Registrar as required under the Act.
	1	office of the Registral as required under the Act.

16.	Provision for filling-	Procedure with regard to filling- up of any vacancy of an office
	up casual vacancies	bearer of the society caused due to death, resignation,
		cessation of membership etc. should be defined in the byelaws
		of the society. Ideally, such a person should continue to hold
		the office & perform functions only till the next Annual General
		Meeting of the General Body, unless his appointment is further
		ratified in such Annual General Meeting.
17.	Sources of Income of	Every Society should clearly define the sources of its income
	a Society	such as membership fee, annual subscription, donations, rent
		from property/assets, interest, gifts, etc. in its byelaws so as to
		maintain probity in its financial transactions.
18.	Provisions relating to	The byelaws of a society should provide for audit of annual
	Audit of the Society's	accounts of the society from an auditor who is a member of
	Accounts	the Institute of Chartered Accountants of India and such
		auditor should not be a member of the Governing Body of the
		society.
19.	Operation of Bank	The byelaws of a society should define the persons who are
	Accounts	authorized to operate its bank accounts, which may include its
		employees and the office-bearers. The limits of cash-in-hand to
		meet the day-to-day expenses, the limits up to which the
		authorized person could sign the cheques individually and joint
		signatories beyond such limits should be clearly defined.

1- सोसाइटी शुल्क दर -

क्र0सं0	विवरण	₹0
क - पंर	नीकरण -	
1.	सोसाइटी पंजीकरण	2000
2-	सोसाइटी पंजीकरण युवक/महिला मंगल दल/महिला समूह	5
ख - न	वीनीकरण	
1-	सोसाइटी नवीनीकरण	1000
2-	सोसाइटी नवीनीकरण युवक/महिला मंगल दल/महिला समूह/सामुदायिक	1000
3- क	विलम्ब शुल्क प्रथम माह	100
3- ख	अन्य माह में (प्रति माह)	50
4-	नवीनीकरण अनुमति शुल्क	1000
ग - प्री	ते लिपि	
1-	सोसाइटी प्रतिलिपि (प्रमाण पत्र) सामान्य	50
2-	सोसाइटी प्रतिलिपि (प्रमाण पत्र) अत्यावश्यक (सेमीअर्जेन्ट)	100
3-	सोसाइटी प्रतिलिपि (प्रमाण पत्र) तत्काल प्रति (अर्जेन्ट)	150
4-	अन्य दस्तावेजो की प्रतिलिपि सामान्य (प्रति पृष्ठ)	30
5-	अन्य दस्तावेजो की प्रतिलिपि अत्यावश्यक (सेमीअर्जेन्ट) (प्रति पृष्ठ)	60
6-	अन्य दस्तावेजो की प्रतिलिपि तत्काल प्रति (अर्जेन्ट) (प्रति पृष्ठ)	90
घ - नि	रीक्षण	
1-	पत्रावली निरीक्षण	50

2-फर्म पंजीकरण शुल्क दर -

क्र0सं0	विवरण	₹ 0	
क - पंजीक	रण		
1.	फर्म पंजीकरण	5000	
2.	फर्म के व्योरो में संशोधन	500	
ख़ - प्रति वि	ख़ - प्रति लिपि		
1-	फर्म प्रतिलिपि (प्रमाण पत्र)	50	

क्र0सं0	विवरण	₹0
2-	अन्य दस्तावेजो की प्रतिलिपि (प्रमाण पत्र)	50
ग - निरीक्षण		
1-	फर्म के अभिलेखों का निरीक्षण	100

3-चिट्स ग्रुप पंजीकरण शुल्क दर -

क्र0सं0	विवरण	₹0
क - पंजी	करण	
1.	चिट्स ग्रुप पूर्व स्वीकृति	200
2.	चिट अनुबंध पृष्ठांकन (प्रति अनुबंध)	2
3.	चिट्स प्रारंभ	30
4.	धरा - 17 के अंतर्गत मिनट्स फाईलिंग	4
5.	धरा - 64 के अंतर्गत वाद फाईलिंग	500
6.	धरा - 74 के अंतर्गत शासन के समक्ष अपील फाईलिंग	50
7.	धरा - 28,29,37 के अंतर्गत फाईलिंग	10
ख़ - प्रति लिपि		
1-	चिट्स ग्रुप अभिलेख प्रतिलिपि	1.50
ग - निरीक्षण		
1-	चिट्स ग्रुप के अभिलेखों का निरीक्षण	2